"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2005—आषाढ़ 23, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 23, 1927)

क्रमांक-8672/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005), जो दिनांक 14 जुलाई, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005

विषय सूची

खंड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

2. परिभाषाएं.

3. राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत.

4. विधान सभा के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.

5. राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय.

6. अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.

7. नियम बनाने की शक्ति.

8. नियमों का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना.

9. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

10. सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन.

11. अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005

राजकोषीय प्रबंध में विवेक, सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायित्व सौंपने, राजस्व घाटे की क्रमिक समाप्ति, द्वारा वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कटौती, राजकोषीय वहनीयता के अनुसार विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध, सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता और मध्यावधि ढांचे तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 कहा जाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "बजट" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के सदन में रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण;

(ख) "चालू वर्ष" से अभिप्रेत है आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ग) "आगामी वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;

(घ) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;

(ङ) "जीएसडीपी" से अभिप्रेत है वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;

(च) "राजकोषीय घाटा" से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों, ऋण की वसूली और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होने वाले सकल वितरण (ऋण चुकौतियों को छोड़कर);

(छ) "राजकोषीय संकेतक" से अभिप्रेत है ऐसा संकेतक जैसा कि राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किया जाए;

(ज) "राजकोषीय लक्ष्य" से अभिप्रेत है अंकीय उच्चतम सीमा और राजकोषीय संकेतकों के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों या जीएसडीपी का अनुपात;

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "पिछले वर्ष" से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ट) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्रेत है राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के बीच का अंतर.

स्पष्टीकरण : ''कुल राजस्व प्राप्तियों'' (टीआरआर) में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर और करेत्तर दोनों) तथा केन्द्र से चालू अन्तरण (अनुदान और केन्द्रीय करों में राज्य के अंश सहित) शामिल है;

(ठ) ''कुल देयताओं'' से अभिप्रेत है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विशेष प्रयोजन के साधन, गारंटी सहित तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार शामिल होंगे जिसमें मूलधन या ब्याज का शोधन राज्य बजट से किया जाता है.

राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत.

3. (1) राज्य सरकार राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कम करने के समुचित उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च, 2009 तक दूर हो जाए तथा राजकोषीय घाटा को 31 मार्च, 2009 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सके.

(2) राज्य सरकार इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी—

(अ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य,

(ब) समाश्रित दायित्व के रूप में प्रत्याभूति तथा कुल दायित्वों के जीएसडीपी के प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा.

विधान सभा के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.

4. (1) राज्य सरकार हर-एक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगों के साथ निम्नलिखित विवरण रखेगा, अर्थात् :—

(क) वृहद् आर्थिक संरचना विवरण;

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण; और

(ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण.

(2) वृहद् आर्थिक संरचना विवरण यथानिर्धारित स्वरूप में होगा और उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, वृद्धिका विश्लेषण और जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना, राज्य सरकारी वित्त और भावी संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन शामिल होगा. विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृहद आर्थिक संरचना विवरण में निम्नलिखित से संबंधित मूल्यांकन शामिल किया जाएगा :—

(एक) जीएसडीपी में वृद्धि.

(दो) राज्य का राजकोषीय संतुलन जैसा कि राजस्व संतुलन और सकल राजकोषीय संतुलन में प्रतिबिंबित हो.

(3) (एक) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंध के उद्देश्य और अंतर्निहित पूर्वानुमान के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन-वर्ष के चल लक्ष्यों के ऐसे स्वरूप में रखा जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(दो) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में विशेषत: और उप धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजकोषीय संकेतकों के पीछे विविध पूर्वानुमान और निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जाएगा :—

(क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन;

(ख) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग;

(4) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे स्वरूप में होगा जैसा कि विहित किया जाए और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी,

(एक) आगामी वर्ष के लिए कराधान, व्यय, ऋण लेने और अन्य देयताओं, ऋण देने, निवेश, अन्य आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं के लिए उपयोगकर्त्ता प्रभार एवं गारंटी जैसी गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां जिनके संभाव्य बजटीय निहितार्थ होते हैं;

(दो) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनागत प्राथमिकताएं;

(तीन) महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय और कराधान, सब्सिडी, व्यय, ऋण लेना और सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं पर उपयोगकर्त्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी प्रमुख विचलन के लिए औचित्य;

(चार) राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का मूल्यांकन बनाम धारा 3 में निर्धारित राजकोषीय प्रबंध के सिद्धांत, धारा 4 की उपधारा 3 (1) में मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित राजकोषीय उद्देश्य.

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय.

5. (1) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें तैयार करने में जहां तक व्यवहार्य हो वहां तक गोपनीयता को कम रखने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी.

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतीकरण के समय ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए, विस्तृत सूचना के साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण करेगा ;

(एक) लेखाकरण मानकों में उल्लेखनीय परिवर्तन, राजकोषीय संकेतकों की गणना पर प्रभाव डालने वाली या संभाव्य रूप से प्रभाव डालने वाली नीतियां और संव्यवहार;

(दो). अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋणों के ब्यौरे.

(3) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त के और ठोस मात्रा में किसी अलग कानूनी संस्था के मूलधन की चुकौती और/या ब्याज अदा करती है तो उसे ऐसी देयता को राजस्व के ऋण के रूप में ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए दिखाना चाहिए.

(4) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के समक्ष बजट के साथ-साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्यौरा देने वाली विशेष विवरणियों का प्रकाशन रखेगी.

अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.

6. (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में विनिर्दिष्ट है) हर तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधान सभा के सदन में रखेंगे.

(2) जब कभी राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित अंतर-वर्षीय लक्ष्यों से या तो राजस्व में कमी आती है या व्यय अधिक होता है तब राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने और/या व्यय में कटौती करने, जिसमें राज्य की समेकित निधि से अदा और विनियोजित की जाने वाली राशियों में कटौती शामिल है, के लिए यथोचित उपाय करने चाहिए.

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि पर ऐसे प्रभारित व्यय या अन्य किसी व्यय पर इस उपधारा में कोई लागू नहीं होगा जो किसी करार या संविदा के अंतर्गत करना आवश्यक है और जिसे स्थगित या कम नहीं किया जा सकता.

(3) (एक) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई किसी बाध्यता की पूर्ति में विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी.

(दो) जब अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण राज्य सरकार पर इस अधिनियम के अंतर्गत डाली गई बाध्यता की पूर्ति में कोई विचलन होता है तब वित्त मंत्री विधान सभा के सदन में निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुए बयान देंगे :—

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यता की पूर्ति में ऐसा विचलन;

(ख) क्या ऐसा विचलन भारी मात्रा में और वास्तविक या संभाव्य बजटीय परिणामों से संबंधित है; तथा

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय.

नियम बनाने की शक्ति.

7. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) ऐसे नियमों में विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी या किसी का प्रावधान होगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाने वाले वार्षिक लक्ष्य;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) (एक) के प्रयोजन के लिए निर्धारित किये जाने वाले राजकोषीय संकेतक;

(ग) धारा 4 के अंतर्गत वृहद् आर्थिक संरचना विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण का स्वरूप;

(घ) धारा 5 की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत प्रकटीकरण का स्वरूप;

(ङ) अनुपालन लागू करने के उपाय;

(च) अन्य कोई बात जो आवश्यक हो या विहित की जाए.

नियमों का विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना.

8. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

9. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी अथवा किए जाने के लिए आशसित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन.

10. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्रवाई सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा.

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

11. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा तथा उसका अल्पीकरण नहीं करेगा.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

12. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा कि आवश्यक हो इस विधेयक के उपबंधों के असंगत न हो.

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजकोषीय स्थायित्व तथा सम्पोष्णीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों पर सीमा निर्धारण, और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध द्वारा राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक विधि, अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर
तारीख 7 जुलाई, 2005

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

विधेयक खण्ड 7 में विधायिनी शक्ति का उल्लेख है जो सामान्य प्रकार के हैं.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.